दिल्ली विधान सभा सविवालय

समाचार भाग -2

है विधायो तथा अन्य मामलो से संबंधित सामान्य जानकारी है शुक्रवार, ०५ जनवरी, २००। ∕ पौष ।५, ।९२२ है शंकहें

संख्या : 122

सदस्यों को नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को थाना बाड़ा हिन्दूराव, दिल्ली का निम्नलिधित सेंदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्व श्रो राजेश जैन, कंवर करण सिंह व मुकेश शर्मा को 04.01.2001 को क्रमश: 1115,1515 व 1615 अंज दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 को धारा-65 के अतर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण नजरबन्द किया गया ।

उन्हें वहीं से उसा दिन अर्थात 04.01.2001 को 1630 बजे रिहा कर दिया गया ।

> एस • के • शर्मा सिवव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Friday, O5th January, 2001/ Foush 15, 1922(Saka)
No.122

Detention and Release of Members

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S., Bara Hindu Rao, Delhi.

" I have the honour to inform you that S/Shri Rajesh Jain, Kanwar Karan Singh And Mukesh Sharma, MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the lawful direction of police at 1115, 1515 and 1615 Hrs. respective-ly on 4.1.2001.

They were released at 1630 hrs 4.1.2001 from the same place on the same day i.e. 4.1.2001.*

S.K.SHARMA SECRETARY